न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –944 / 2023

अनवान : –

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जसवंतसिंह जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. भागीरथ पत्रु मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. सीमादेवी पत्नी स्व0 जसवंतसिंह जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. सन्जू पुत्री जसवन्त सिंह पत्नी कुलदीप जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवास खेदासरी तहसील रावतसर।
4. हरकौरी पुत्री मालाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी चक 24 मोरजण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्णा पुत्री मालाराम पत्नी रामेश्वर जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. सुनील
7. महेन्द्र
8. राजू उर्फ राजकुमार

} पुत्रगण कलावती पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी 34 मोरजण्डा हनुमानगढ़

9. तिलोकराम पुत्र सावित्री पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. दर्शना पुत्री सावित्री पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवास चाहूवाली तहसील टिब्बी।
11. सुमन पुत्री सावित्री पुत्री मालराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी चाहूवाला तहसील टिब्बी।
12. योगेश पुत्र सुरेन्द्र पुत्र ज्याना पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवास चक 34 मोरजण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. बिरमा उर्फ सन्तोष पुत्री ज्याना पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
14. शिक्षा पुत्री ज्याना पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवास मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 22/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता संख्या 186 / 163 की कुल 7.0440 हैक्ट एवं रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता सं... 6... 47 की कुल 3.3160 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण संख्या ... के पिता जसवन्त पुत्र मालाराम एवं 1 / 3 हिस्सा भूमि वादी के दादा के नाम दर्ज राज... रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी एवं प्रतिवादीगण के दादा, पिता व नाना व ससुर मालाराम पुत्र केशुराम जाति जाट का देहान्त हो चुका है। मालाराम पुत्र केशुराम के देहान्त के बाद उसके जायज वारिसान उक्त

वाद भूमि के हकदार है। मालाराम के हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादीगण न0 4 व 5 तीनों बहिस्सा बराबर 4/7 हिस्सा के तथा वादी एवं प्रतिवादीगण न0 2 व 3 जो मृतक मालाराम के मृतक लड़के जसवन्त के वारिसान है उसकी जगह हकदार व खातेदार काश्तकार है व तीनों बहिस्सा बराबर 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 तीनों बहिब 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 तीनों बहिब 1/7 हिस्सा, प्रतिवादीगण 12 ता 14 बहिब 1/7 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा मृतक जसवंत पुत्र मालाराम जो दिनांक 05.08.2022 को फौत हो चुका है तथा उसके हिस्सा के हकदार व खातेदार उसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 है तथा वादग्रस्त भूमि में उसके 1/3 हिस्सा में बहिस्सा बराबर के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 प्रतिवादी संख्या 1 की बहिने है तथा वादी एवं प्रतिवादी न0 3 की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 प्रतिवादी न0 1 की मृतक बहने कलावती, सावित्री व ज्याना के पुत्र, पुत्रिया व पौत्र है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 14 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी न0 2, 3 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। मृतक मालाराम पुत्र केशुराम व मृतक जसवंत सिंह पुत्र मालाराम के हिस्सा के प्रतिवादी न0 3 द्वारा अपना हक व हिस्सा वादी के पक्ष में नियमानुसार त्याग कर दिया गया है। बाद हक त्याग उक्त वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीया न0 2 दोनों 1/2 हिस्सा के जिसमें वादी अकेला 2/6 हिस्सा का तथा प्रतिवादीया न0 2 अकेली 1/6 हिस्सा की तथा प्रतिवादी न0 1 अकेला 1/2 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुए तथा उपरोक्तानुसार हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पाने के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि वाके रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता संख्या 186/163 की कुल 7.0440 हैक्ट में वादी व प्रतिवादीगया न0 2 दोनो 1/2 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी अकेला 2/6 हिस्सा का तथा प्रतिवादीया न0 2 अकेली 1/6 हिस्सा की तथा प्रतिवादी न0 1 अकेला 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार वाद भूमि रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 67/47 की कुल 3.3160 हैक्ट भूमि में वादी वादी व प्रतिवादी न0 2 दोनो 1/2 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार है मगर हाल राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि मृतक मालाराम पुत्र केसुराम व मृतक जसवन्तसिंह पुत्र मालाराम के नाम दर्ज है। वादी अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाकर जमाबंदी दुरूस्त करा वादग्रस्त भूमि उपरोक्तानुसार हक हिस्सा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहता है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे [illegible] कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश [illegible] गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 14 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा ढण्ढेला खाता संख्या 186/163 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2074–2077 रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी खाता संख्या 67/47 प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र मालाराम प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र जसवन्त सिंह प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण पत्र कलावती देवी प्रदर्श–5, मृत्यु प्रमाण पत्र सावित्री पत्नी रामप्रताप प्रदर्श–6, मृत्यु प्रमाण पत्र ज्याना देवी प्रदर्श–7, मृत्यु प्रमाण पत्र सुरेन्द्र प्रदर्श–8, आधार कार्ड प्रदर्श–9 आदि प्रदर्शित करवायें एवं असल शपथ पत्र सुरेन्द्र कुमार पुत्र जसवन्तसिंह जिसमें मालाराम पुत्र केशुराम के समस्त वारिसान बाबत, ग्राम पंचायत ढण्ढेला द्वारा तस्दीक जसवंत सिंह पुत्र मालाराम के वारिसान बाबत प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत ढण्ढेला द्वारा तस्दीक मालाराम पुत्र केशुराम के वारिसान बाबत प्रमाण पत्र, मालाराम का वारिस प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 14 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वादी डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर [illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता संख्या 186/163 की कुल 7.0440 हैक्टर एवं रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 67/47 की कुल 3.3160 हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1, 1/3 हिस्सा भूमि जसवन्त पुत्र मालाराम एवं 1/3 हिस्सा भूमि मालाराम पुत्र केशुराम के नाम

…खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:34 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी के पिता जसवन्त का देहान्त हो चुका है उक्त वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के दादा के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा निहित है। सजरा खानदार के अनुसार मालाराम के वारिस पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 14 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मालाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 186/163 की कुल 7.0440 हैक्ट भूमि में मृतक मालाराम पुत्र केशुराम व जसवन्त पुत्र मालाराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा भूमि एवं शेष वाद भूमि में से वादी को 2/6 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खताा संख्या 67/47 की कुल 3.3160 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा भूमि एवं शेष भूमि में से वादी को 2/6 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:34 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –944 / 2022
अनवान : –

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जसवंतसिंह जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भागीरथ पत्रु मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. सीमादेवी पत्नी स्व0 जसवंतसिंह जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. सन्जू पुत्री जसवन्त सिंह पत्नी कुलदीप जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवास खेदासरी तहसील रावतसर।
4. हरकौरी पुत्री मालाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी चक 24 मोरजण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्णा पुत्री मालाराम पत्नी रामेश्वर जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. सुनील
7. महेन्द्र
8. राजू उर्फ राजकुमार

} पुत्रगण कलावती पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी 34 मोरजण्डा हनुमानगढ़

9. तिलोकराम पुत्र सावित्री पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. दर्शना पुत्री सावित्री पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवास चाहूवाली तहसील टिब्बी।
11. सुमन पुत्री सावित्री पुत्री मालराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी चाहूवाला तहसील टिब्बी।
12. योगेश पुत्र सुरेन्द्र पुत्र ज्याना पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवास चक 34 मोरजण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. बिरमा उर्फ सन्तोष पुत्री ज्याना पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
14. शिक्षा पुत्री ज्याना पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवास मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 944 सन 2022 निर्णय दिनांक 22/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजय सिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 186/163 की कुल 7.0440 हैक्ट भूमि में मृतक मालाराम पुत्र केशुराम व ज... कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा भूमि एवं शेष ... वादी को 2/6 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा भूमि के ... काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 67/47 की कुल 3.3160 हैक्ट भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

में प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा भूमि एवं शेष भूमि में से वादी को 2/6 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:34 IST
Reason: SelfAttested